दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

रि.या.(सि) 2591/1992

श्री सतीश कुमार मल्होत्रा .....याचिकाकर्ता

के माध्यम सेः श्री दिनेश अग्नानी, अधिवक्ता

बनाम

पंजाब एंड सिंध बैंक व अन्य .....प्रत्यर्थी

के माध्यम से: श्री रजत अरोड़ा, अधिवक्ता

निर्णय की तारीख

07.07.2008

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप नंदराजोग

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?

2. रिपोर्टर के पास भेजा जाना है या नहीं?

3. क्या निर्णय की सूचना डाइजेस्ट में दी जानी चाहिए?

न्या.प्रदीप नंदराजोग (मौखिक)

1. वर्तमान याचिका में जिस प्रश्न का उत्तर मुझे देना है वह यह है कि क्या 26.11.1991 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन याचिकाकर्ता को सूचित करता है कि उसे नियमित वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा और न ही उसे 12.11.1988 से 14.10.1991 तक निलंबित रहने की अवधि के लिए कोई वृद्धि दी जाएगी जो कानूनी और वैध है?

2. रिकॉर्ड के लिए मैं विद्वान अधिवक्ता के रुख को ध्यान दें कर सकता हूं प्रत्यर्थी, जो कहता है कि पूर्व-निर्दिष्ट अवधि के दौरान जिस पैमाने में याचिकाकर्ता को रखा गया था, उसमें कोई वृद्धि नहीं देने के अलावा, सेवा में निरंतरता आदि जैसे अन्य सभी उद्देश्यों के लिए उक्त अवधि को याचिकाकर्ता के सेवा कार्यकाल के लिए ध्यान में रखा जा रहा है।

3. पंजाब एंड सिंध बैंक के तहत आशुलिपिक के रूप में कार्यरत, याचिकाकर्ता और उसके भाइयों को स्थानीय पुलिस ने एक शिव कुमार की हत्या में संदिग्ध माना। शिव कुमार को 11 और 12 नवंबर, 1988 की दरम्यानी रात को चाकू के घावों के कारण गंभीर रूप से घायल पाया गया था।उसकी मौत हो गई। भा.दं.सं. सी.पी.एस. मोती नगर की खंड 302/34 के तहत एक प्राथमिकी आर. सं. 323/1988 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता को उक्त प्राथमिकी में एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उनके सह-आरोपी यानी उनके भाई के साथ मुकदमे के लिए भेजा गया था।उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज करने और याचिकाकर्ता को पहले पुलिस द्वारा और फिर

न्यायिक हिरासत में रखने का प्रभाव दिनांक 12.11.1988 से उसका निलंबन था।

4. 17.8.1991 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से, सत्र मुकदमे के माध्यम से सत्र मुकदमा सं. 68/1989, याचिकाकर्ता और उसके भाई को उस अपराध से बरी कर दिया गया था जिसके लिए उन पर प्राथमिकी सं. 323/1988, पी.एस. मोती नगर में आरोप लगाया गया था। दोषमुक्ति का फैसला दोनों अभियुक्त व्यक्तियों यानी याचिकाकर्ता और उसके भाई को संदेह का लाभ देकर किया गया था।

5. दोषमुक्ति के आदेश के लिए राज्य द्वारा चुनौती विफल रही जब इस न्यायालय ने आपराधिक विविध सं. 281/1991 में राज्य को अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को दोषमुक्ति के निर्णय को अंतिम रूप मिल गया क्योंकि राज्य ने मामले पर आगे मुकदमा नहीं चलाया।

6. दिनांक 14.10.1991 को याचिकाकर्ता का निलंबन निरस्त कर दिया गया और उन्हें सेवा में वापस ले लिया गया।

7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस अवधि के दौरान 12.11.1988 तक 14.10.1991 जिसके लिए वह निलंबन में रहे, याचिकाकर्ता को नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता का भुगतान किया गया।

8. प्रत्यर्थी नं. 1 बैंक और उसके कर्मचारी के बीच अनुशासनात्मक कार्रवाई और संबंधित प्रक्रिया प्रबंधन एवं बैंक के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ के बीच एक सहमत द्विपक्षीय समझौते का विषय बन गए। दुराचार के आरोप में कर्मचारियों के निलंबन और भत्तों के भुगतान आदि सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विस्तृत प्रावधानों पर सहमति बनी। द्विपक्षीय समझौते का खंड 19.3 व्यापक रूप से एक कर्मचारी द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में निलंबन के मुद्दों से संबंधित है। खंड (ए), (बी) और (सी) इसके प्रासंगिक हैं जो नीचे दिए गए हैं-

> **"19.3** *(क)* जब प्रबंधन की राय में किसी कर्मचारी ने कोई अपराध किया है, जब तक कि उस पर अन्यथा मुकदमा नहीं चलाया जाता है, तो बैंक उस पर मुकदमा चलाने या उस पर मुकदमा चलाने के लिए कदम उठा सकता है और ऐसे मामले में उसे निलंबित भी किया जा सकता है।
>
> *(ख)* यदि वह दोषी ठहराया जाता है, तो उसे उसकी दोषसिद्धि की तारीख से प्रभाव से बर्खास्त किया जा सकता है या नीचे दिए गए खंड 19.6 में उल्लिखित किसी भी प्रकार की कम सजा दी जा सकती है।
>
> *(ग)* यदि उसे बरी कर दिया जाता है, तो प्रबंधन के लिए यह खुला रहेगा कि वह निर्वहन से संबंधित खंड 19.11 और 19.12 में नीचे दिए गए प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करे।हालांकि, प्रबंधन द्वारा पूछताछ के बाद उसे सेवा में जारी नहीं रखने का निर्णय लेने की स्थिति में, वह केवल नोटिस के बदले में तीन महीने के वेतन और भत्तों के साथ सेवा की

> समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा।और यह समझा जाएगा कि वह निलंबन की अवधि, यदि कोई हो, के दौरान कर्तव्य पर रहा है और निलंबन की अवधि के लिए ऐसे निर्वाह भत्ते को घटाकर पूर्ण वेतन और भत्तों और अन्य सभी विशेषाधिकारों का हकदार होगा, बशर्ते कि यदि उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जाता है, तो उसे ऐसे वेतन और भत्तों का ऐसा हिस्सा दिया जा सकता है जो प्रबंधन उचित समझे, और उसकी अभाव की अवधि को कर्तव्य पर खर्च की गई अवधि के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि प्रबंधन ऐसा निर्देश न दे।"

9. यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त खंड के अनुसार जहां बैंक के कर्मचारी को आपराधिक मुकदमे में बरी कर दिया जाता है, यह प्रबंधन के लिए अनुशासनात्मक जांच करने के लिए आगे बढ़ने के लिए खुला है। प्रबंधन के लिए यह समान रूप से खुला है कि वह ऐसी कोई जांच न करे और गलती करने वाले कर्मचारी को वापस ले।तत्काल मामले में प्रबंधन ने उस विधि को चुना है।

10. इस प्रकार, दिनांक 14.10.1991 के प्रभाव से याचिकाकर्ता ने बैंक के तहत काम करना शुरू कर दिया और उक्त स्कोर पर कोई शिकायत नहीं है।

11. याचिकाकर्ता ने देय वेतन और उसे भुगतान किये गए वेतन के अंतर एवं निर्वाह भत्ते का दावा किया जो उसे 12.11.1988 से 14.10.1991 की अवधि के लिए दिया गया था। उसका आरोप है कि यह वह लाभ है जो उसे आपराधिक मुकदमे में दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है। इसके

अतिरिक्त, याचिकाकर्ता का दावा है कि 2 वेतनवृद्धि जो उसने 12.11.1988 और 14.10.1991 के बीच अर्जित की होगी, वो भी भी उसे दी जानी चाहिए।

12. प्रबंधन का मानना है कि खंड 19.3 के उप-पैरा (ग) के अनुसार, द्विपक्षीय समझौते के तहत यदि गलती करने वाले कर्मचारी को संदेह का लाभ दिए जाने का परिणामस्वरुप दोषमुक्ति दी जाती है, तो यह प्रबंधन के विवेकाधिकार के भीतर है कि उसे निलंबन की अवधि के लिए पूरा वेतन दिया जाए अथवा न दिया जाए और साथ ही उक्त अवधि को कर्तव्य पर नहीं दिया गया माना जाता है| इसका अर्थ यह है कि प्रबंधन निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन से इनकार कर सकता है और इस अवधि को कर्तव्य पर नहीं दिया गया के रूप में भी नहीं मान सकता है।

13. याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी की दलीलें 2 चरम सीमाएँ होंगी। कर्मचारी के पक्ष में चरम सीमा यह होगी कि अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद, बरी होना संदेह का लाभ देकर हो सकता है, उसके पास दागी दोषमुक्ति को प्रतिग्रहण करने के अलावा कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है क्योंकि कानून उसे दोषमुक्ति में दाग पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं देता है। कर्मचारी के लिए यह तर्क देना संभव होगा कि उक्त परिस्थितियों में वह सभी लाभों का हकदार होना चाहिए।

14. दूसरा चरम सीमा नियोक्ता के द्वारा हो सकती है कि जो हुआ है उससे नियोक्ताकिसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है।जैसे कि वर्तमान मामले में, यदि कर्मचारी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है, एक ऐसा कार्य जो कर्तव्य के दौरान नहीं किया गया है, तो नियोक्ता को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए यदि कर्मचारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसका अर्थ है, नियोक्ता को कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकना।

15. कानून ने बाद वाले दृष्टिकोण का समर्थन किया है मेरे द्वारा इसके कारण पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कई निर्णयों के आधार पर है। मैंने केवल 2 पर ध्यान दिया है|

16. पहला माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है जो 1994 एल.एल.जे. 642 *रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन बनाम भोपाल सिंह पांचाल* के रूप में रिपोर्ट किया। दूसरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है जो 2004 एल.एल.जे. 431 *भारत संघ बनाम जयपाल सिंह* के रूप में प्रतिवेदित है ।

17. संक्षेप में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि एक नागरिक के रूप में, कर्मचारी गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामले में शामिल हो जाता है और उसे न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो ऐसे कर्मचारी को निलंबित करने और उसे पूर्ण वेतन से वंचित करने में नियोक्ता

की गलती नहीं होगी और साथ ही हिरासत में अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में नहीं गिना जाएगा क्योंकि जो कुछ हुआ था उसके लिए नियोक्ता को दोषी नहीं ठहराया जाना था।

18. द्विपक्षीय समझौता, जिसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच प्रवृत्त कानून है जो प्रबंधन को याचिकाकर्ता को देय पूर्ण वेतन एवं भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते के बीच के अंतर को अस्वीकार करने का अधिकार देती है क्योंकि उसे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है।इसके अतिरिक्त, द्विपक्षीय समझौता नियोक्ता को इस बात पर विचार करने का अधिकार देता है कि निलंबन की अवधि को कैसे माना जाए।नियोक्ता ने निलंबन की अवधि को एक सीमित उद्देश्य के लिए कर्तव्य पर नहीं माना है, अर्थात् वेतन वृद्धि के उद्देश्यों के लिए जो याचिकाकर्ता ने अन्यथा अर्जित किया होता यदि वह प्रबंधन के तहत निर्दोष रूप से सेवा करना जारी रखता।

19. मुझे प्रतिवादी की कार्रवाई में कोई कमजोरी नहीं मिलती है।यह इस बात पर शायद ही फिर से जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि आपराधिक मुकदमे में याचिकाकर्ता की दोषमुक्ति, जहां उस पर हत्या के अपराध का आरोप लगाया गया था, उसे संदेह का लाभ देना है।

20. याचिका खारिज की जाती है।

21. कोई लागत नहीं।

न्या. प्रदीप नंदराजोग

07 जुलाई, 2008

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*